न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/21

1. राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल आयु 52 वर्ष जाति महाजन ।
2. कमल कुमार उर्फ अशोक कुमार जैन पुत्री श्री मोहनलाल आयु 57 वर्ष ।
3. दिनेश जैन पुत्र श्री मोहनलाल आयु 54 वर्ष जाति महाजन ।
4. कंचन बेवा श्री मोहनलाल आयु 83 वर्ष जाति महाजन निवासीगण नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कन्या पत्नी स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 34 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 32 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजेश पुत्र स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 31 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. विमला पुत्री स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 41 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बुद्वि प्रकाश आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 से 06 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 12.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 06 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुढादेव जी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 393 में खसरा नम्बर 295 रकबा 0.8333 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 358 में खसरा नम्बर 294/1508 रकबा 0.2285 भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता मोहन लाल आत्मज रामनिवास के खातेदारी एवं अधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में जाने का रास्ता गुढादेव जी से गावडी जाने वाली आम डामर सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 294/1508 की उत्तरी मेड के सहारे – सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 295 तक पहुंचता है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग पुश्तैनी रूप से करते चले आ रहे है । उक्त रास्ते को मौके के नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा उक्त भूमि में जाने का कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि ग्राम गुढादेवजी से गावडी जाने वाली डामर सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 294/1508 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 15 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई में होता हुआ खसरा नम्बर 295 तक पहुंचने का रास्ता नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को रास्ता घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे तथा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट गुढादेवजी में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 12.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उनके खाते की आराजी खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 295 रकबा 0.8333 हैक्टर भूमि पर पहुंचने के लिए एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 294/1508 में से रकबा 42 गठ्ठा * 02 गठ्ठा = 84 वर्गगठ्ठा = रकबा 0.04 बीघा भूमि जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया हुआ है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को कौर्ट कैम्प में ले जाकर एकपक्षीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त निर्णय पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी में चल रही थी और आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2021 नियत थी । उससे पूर्व ही इसे प्रशासन गॉवों के संग अभियान

के तहत कोर्ट कैम्प गुढादेवज में रखते हुए अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट को उक्त पत्रावली कैम्प में निर्णय करने हेतु ले जाने की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट नियत पेशी दिनांक 15.11.2021 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो पता चला कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2021 को ही अपीलान्ट की बिना जानकारी के पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । उक्त आदेश की जानकारी करने पर दिनांक 29.11.2021 को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 30.11.2021 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया । दिनांक 05.01.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 06 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज किया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2021 नियत की गई परन्तु उससे पूर्व ही उक्त प्रकरण को कैम्प कोर्ट गुढादेवजी में रखते हुए अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार मोहन लाल जी का निधन हो चुका था और उनके समस्त वारिसों को बतौर खातेदार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । परीक्षण न्यायालय ने मोहन लाल के वारिसों को पक्षकार बनाये बिना एवं अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में ही कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से प्रशासन गॉवों के संग अभिभायान के तहत कैम्प कोर्ट गुढादेवजी में निर्णय पारित किया है । प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 6 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता कायम करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2021 नियत कर दी । परीक्षण न्यायालय ने उक्त नियत दिनांक 15.11.2021 से पूर्व ही दिनांक 12.11.2021 को कैम्प कोर्ट गुढादेवजी में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी में लम्बित थी । प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2021 पेश की गई है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे और न ही उन्हें सूचना दिये जाने बाबत् कोई उल्लेख है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी नहीं की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय की आदेशिका एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर साबित है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । तहसीलदार/मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही है । प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियम 68 से 70 की पालना भी नहीं की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा